

registered post and if he again fails to appear after the second notice, then the proceedings shall be heard *ex-parte* and the reasons thereof shall be recorded.

(3) On completion of the proceedings, the details including depositions shall be furnished to the parties.

(4) The concerned Joint Secretary shall, after examining the evidence and calling for further reports and inquiry as may be necessary, pass such orders thereon as he thinks fit, and a copy of the said orders shall be sent to the parties, after approval of the Central Government.

4. Transfer of property by the Custodian.- The Custodian, on receipt of the order of the Joint Secretary to treat the property not as an enemy property, shall revoke his earlier order vesting such property in him and publish the same in public domain and send a copy thereof to the concerned parties and to the District Authority for amending its records.

[F. No. 37/32/2017-EP]

A V DHARMA REDDY, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

सा.का.नि. 258(अ).—केन्द्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन भारत में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति (जंगम और स्थावर) का निपटान करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) ये आदेश शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **अभिरक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को सभी शत्रु संपत्तियों की सूची प्रस्तुत किया जाना** – अभिरक्षक द्वारा सभी निहित शत्रु संपत्तियों (जंगम और स्थावर) की सूची, इस आदेश के प्रकाशन से तीन मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की जाएगी।
3. **स्थावर शत्रु संपत्तियों का मूल्यांकन** – (1) स्थावर शत्रु संपत्ति के मूल्यांकन के उद्देश्य से, जिला स्तर पर एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
(क) जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहां संपत्ति स्थित है.....अध्यक्ष
(ख) जिले का रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार.....सदस्य
(ग) सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी का अधीक्षक/कार्यपालक इंजीनियर.....सदस्य
(2) समिति, उस क्षेत्र की सर्कल दर, जहां संपत्ति स्थित है, या अन्य मूल्यांकन रीतियों के साथ संपत्ति के मूल्यांकन की रीति के रूप में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर विचार करेगी।
4. **शत्रु संपत्तियों के मूल्यांकन रिपोर्ट की सुपुर्दगी**- अभिरक्षक मूल्यांकन समिति से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर शत्रु संपत्ति के साथ-साथ उनके मूल्यांकन की राज्यवार सूची तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।
5. **शत्रु संपत्ति का निपटान करने के लिए समिति का गठन**- केन्द्रीय सरकार एक समिति का गठन करेगी जो शत्रु संपत्ति निपटान समिति के रूप में जानी जाएगी, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
(क) शत्रु संपत्ति से संबंधित मंत्रालय या विभाग का अपर सचिव, भारत सरकार.....अध्यक्ष
(ख) शत्रु संपत्ति से संबंधित मंत्रालय या विभाग का अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार.....
.....सदस्य
(ग) वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का संयुक्त सचिव.....सदस्य

- (घ) विधि और न्याय मंत्रालय का संयुक्त सचिव.....सदस्य
- (ङ) सीपीडब्ल्यूडी का मुख्य इंजीनियर.....सदस्य
- (च) भारत में शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक.....सदस्य
- (छ) शत्रु संपत्ति से संबंधित मंत्रालय या विभाग का संयुक्त सचिवसदस्य
- (2) समिति केन्द्रीय सरकार को शत्रु संपत्ति के निपटान या रीति और उसके साथ संबंधित मामले जिसमें शत्रु संपत्ति व्यवहार करें इस पर सिफारिश करेगी।
- (3) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति इसकी कुल संख्या के आधे की होगी।
6. **शत्रु संपत्ति निपटान समिति की बैठक** - शत्रु संपत्ति निपटान समिति अपनी बैठक सहित, अपने स्वयं के कार्य व्यवहार के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।
7. **शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार को संस्तुति** - (1) शत्रु संपत्ति निपटान समिति, शत्रु संपत्ति के संबंध में केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित सिफारिशों में से कोई सिफारिश करेगी, अर्थात् :-
- (क) शत्रु संपत्ति का विक्रय ;
- (ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा शत्रु संपत्ति का प्रयोग ;
- (ग) शत्रु संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना ;
- (घ) शत्रु संपत्ति का अंतरण ;
- (ङ) कोई अन्य रीति जिसमें शत्रु संपत्ति के संबंध में कार्यवाई करेगी।
- (2) खाली स्थावर शत्रु संपत्ति की दशा में, समिति, खाली स्थावर शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए उच्चतम कीमत का प्रस्ताव करने वाले क्रेता की सिफारिश कर सकेगी।
- (3) समिति, अधिकृत स्थावर शत्रु संपत्ति की दशा में विद्यमान अधिभोगी को उसके निपटान के लिए मूल्यांकन की प्रतिशतता की सिफारिश कर सकेगी।
- (4) केन्द्रीय सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और उनके आधार पर निर्णय ले सकेगी।
8. **जंगम शत्रु संपत्ति का विक्रय** - अभिरक्षक, शेयर जैसी जंगम शत्रु संपत्ति का विक्रय, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एक या अधिक लाटों में स्वयं या ऐसे किसी वृत्तिक निकाय को प्राधिकृत करके कर सकेगा।
9. **स्थावर शत्रु संपत्ति का विक्रय** - खाली स्थावर शत्रु संपत्ति की दशा में, अभिरक्षक या कोई प्राधिकृत निकाय, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम विक्रय कीमत सुरक्षित करने के लिए एक या अधिक लाट में निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक पद्धति द्वारा संपत्ति का विक्रय कर सकेगा, अर्थात् :-
- (क) स्थावर संपत्ति क्रय करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से प्राप्त कोटेशन द्वारा ; या
- (ख) जनता से निविदाएं आमंत्रण द्वारा (जिसके अंतर्गत ई-मोड माध्यम भी है) ; या
- (ग) सार्वजनिक नीलामी द्वारा ; या
- (घ) विक्रय की किसी अन्य पद्धति द्वारा ;
- (ङ) संपत्ति के विक्रय के लिए वृत्तिक निकाय की नियुक्ति के द्वारा।
- (2) शत्रु संपत्ति के अधिकृत होने की दशा में, अभिरक्षक संपत्ति को विद्यमान अधिभोगी को या उससे अन्यथा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा अवधारित मूल्य दर पर विक्रय करेगा।
- (3) संपत्ति के विक्रय मूल्य की प्राप्ति पर अभिरक्षक क्रेता को परिशिष्ट (क) में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. अभिरक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना – अभिरक्षक, केन्द्रीय सरकार को, ऐसे अंतराल पर, विक्रय द्वारा या अन्यथा निपटान की गई शत्रु संपत्ति (जंगम और स्थावर) की एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यौरे, जिसके अंतर्गत वह कीमत जिसके लिए शत्रु संपत्ति का विक्रय किया गया है और उस क्रेता की विशिष्टियां, जिसे संपत्तियों का विक्रय या निपटान किया गया है और भारत की संचित निधि में जमा किए गए विक्रय या निपटान के आगमों के ऐसे व्यौरे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अंतर्विष्ट होंगे।

[फा. सं. 37/32/2017-ईपी]

ए. वी. धर्मा रेड्डी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-क

[शत्रु संपत्ति निपटान आदेश, 2018 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 9 के साथ पठित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 5क, धारा 10, धारा 10क, धारा 12 और धारा 22क(ख) देखें]

विक्रय प्रमाण पत्र

(स्थावर शत्रु संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, जो शत्रु संपत्ति अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन अभिरक्षक है, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 10, धारा 10क, धारा 12 और धारा 22ख के साथ पठित धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ने (क्रेता) के पक्ष में पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन और नीचे दर्शित अभिरक्षक में सभी विल्लंगमों से मुक्त निहित स्थावर संपत्ति का विक्रय किया है :-

2. अधोहस्ताक्षरी (केवल रुपए) की पूरी विक्रय कीमत की प्राप्ति अभिस्वीकार करता है और अनुसूचित संपत्ति का कब्जा देता है।

स्थावर संपत्ति का वर्णन

संपत्ति, जो संख्या
प्लॉट सं. सर्वे संख्या शहर/नगर सर्वे संख्या खसरा संख्या उप जिला
और जिला में रजिस्ट्रीकृत है, के सभी अनिवार्य भाग।

सीमाएं—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में.....
.....

(भारत की शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक)

तारीख

स्थान

ORDER

New Delhi, the 21st March, 2018

G.S.R. 258(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 [34 of 1968], the Central Government hereby makes the following order for the disposal of enemy property (both movable and immovable) vested in the Custodian of Enemy Property for India under the said Act, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Custodian to submit list of all enemy properties to the Central Government. — A list of all vested enemy properties (movable and immovable) shall be prepared by the Custodian for its submission to the Central Government within three months from the publication of this order.

3. Valuation of immovable enemy properties. — (1) For the purpose of valuation of immovable enemy property, there shall be constituted a Valuation Committee at the district level consisting of the following, namely :-

- (a) District Magistrate of a district where the property is situated.....Chairman
- (b) Registrar/ Sub-Registrar of the District.....Member
- (c) Superintendent/ Executive Engineer of CPWD/PWD.....Member

(2) The Committee shall consider the circle rate of the area where the property is situated or a rate fixed by the district administration as a mode of valuation of the property alongwith other valuation modes.

4. Submission of valuation reports of the enemy properties.-The Custodian shall prepare and submit the State-wise list of the enemy properties along with their valuation to the Central Government within one month from the date of receipt of the valuation report from the Valuation Committee.

5. Constitution of Committee for disposal of enemy property. -- (1) The Central Government shall constitute a Committee consisting of the following to be known as Enemy Property Disposal Committee, namely:-

- (a) Additional Secretary to the Government of India in the Ministry or Department dealing with enemy propertyChairman
- (b) AS and FA in the Ministry or Department dealing with enemy propertyMember
- (c) Joint Secretary in the Department of Disinvestment and Public Asset Management, Ministry of Finance.....Member
- (d) Joint Secretary in the Ministry of Law and JusticeMember
- (e) Chief Engineer, CPWD.....Member
- (f) Custodian of Enemy Property for India.....Member
- (g) Joint Secretary in the Ministry or Department dealing with enemy property
.....Member-Secretary

(2) The Committee shall give its recommendation to the Central Government for the disposal of enemy property or the manner in which the enemy property may be dealt with and matters connected therewith.

(3) The quorum for a meeting of the Committee shall be half its total strength.

7. Recommendations to the Central Government by the Enemy Property Disposal Committee. - (1)The Enemy Property Disposal Committee shall make any of the following recommendations to the Central Government in relation to the enemy property, namely:-

- (a) sale of enemy property;
- (b) usage of enemy property by the Ministries or Departments of the Central Government;
- (c) maintaining status quo in respect of enemy property;
- (d) transfer of enemy property;
- (e) any other manner in which the enemy property may be dealt with.

(2) In case of vacant immovable enemy property, the Committee may recommend the purchaser offering the highest price for disposal of vacant immovable enemy property.

(3) In case of occupied immovable enemy property, the Committee may recommend the percentage of valuation for its disposal to the existing occupier.

(4) The Central Government shall consider the recommendations of the Committee and take its decision thereon.

8. Sale of movable enemy property. -- The Custodian may sell the movable enemy property such as shares, with the prior approval of the Central Government, in one or more lots by itself or by authorising any professional body for such sale.

9. Sale of immovable enemy property.-- (1) In case of **vacant** immovable enemy property, the Custodian or any authorised body may sell the property, in one or more lots to secure maximum sale price, with the prior approval of the Central Government, by any one of the following methods, namely:-

(a) by obtaining quotations from the persons interested in buying the immovable property; or

(b) by inviting tenders from the public (including through e-mode); or

(c) by holding public auction; or

(d) by any other method of sale; or

(e) by engaging a professional body for sale of the property.

(2) In case of **occupied** enemy property, the Custodian shall sell the property to the existing occupier or otherwise as may be decided by the Central Government and at the rate as determined by the Enemy Property Disposal Committee.

(3) On receipt of the sale price of the property, the Custodian shall issue a certificate to the purchaser in APPENDIX - A.

10. Submission of report by the Custodian to the Central Government .- The Custodian shall send a report to the Central Government at such interval, of the enemy property (movable and immovable) disposed of whether by sale or otherwise, containing such details, including the price for which such enemy property has been sold and the particulars of the buyer to whom the properties have been sold or disposed of and the details of the proceeds of sale or disposal, deposited into the Consolidated Fund of India, as the Central Government, may specify.

[F. No. 37/32/2017-EP]

A V DHARMA REDDY, Jt. Secy.

APPENDIX-A

[See sections 5A, 10, 10A, 12 and 22A (b) of the Enemy Property Act, 1968 read with paragraph 9 of the Guidelines for the Disposal of Enemy Property Order, 2018]

SALE CERTIFICATE

(For Immovable Enemy Property)

Whereas the undersigned, being the Custodian under the Enemy Property Act and the rules and orders made thereunder and in exercise of the powers conferred by section 8A, read with sections 10, 10A, 12 and 22A(b) of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), sold in favour of _____ (purchaser), the immovable property vested free from all encumbrances in the Custodian under the aforesaid Act and shown below:-

2. The undersigned acknowledge the receipt of the sale price of Rs. _____ (Rupees _____ only) in full and handed over the delivery and possession of the scheduled property.

Description of the Immovable Property

----- All that part and parcel of the property consisting of -----
---No. _____/Plot No. _____ in Survey No. _____/ City or Town Survey No. _____/ Khasara No.
_____ within the registration sub-district _____ and District _____.

Bounded: On the North by On the South by On the East by On the West by -----

(Custodian of Enemy Property for India)

Date-----

Place-----